

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला श्योपुर (म.प्र.)

क्र.- जिउके/श्योपुर/IFC/2024/ 238

श्योपुर, दिनांक 28/08/2024

//आदेश//

प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्रमांक 2031 / A-11/2024 / वि.स.क. / भोपाल दिनांक 24.08.24 से अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति का गठन करते हुये जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन केन्द्र की स्थापना करने एवं डिप्टी कलेक्टर स्तर से अनिम्न अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आदेश के परिपालन में श्री ए. के. रोहतगी, अपर जिला दण्डाधिकारी जिला श्योपुर मोबाइल नं. 9425470080 को जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति के सदस्य सचिव भी होंगे।

कलेक्टर  
जिला श्योपुर

क्र.- जिउके/श्योपुर/IFC/2024/ 239

श्योपुर, दिनांक 28/08/2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. आयुक्त एमएसएमई, उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल ।
3. संभागीय आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना ।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक एम.पी.आई.डी.सी. भोपाल ।
6. वन मण्डलाधिकारी, श्योपुर सदस्य समिति ।
7. संयुक्त संचालक, उद्योग पउका, ग्वालियर सदस्य समिति ।
8. कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एम.पी.आई.डी.सी. ग्वालियर, सदस्य समिति ।
9. महाप्रबंधक, म.प्र. म.क्ष. वि.वि. क. लि. श्योपुर, सदस्य समिति ।
10. जिला अधिकारी, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला श्योपुर सदस्य समिति ।
11. जिला अधिकारी, श्रम विभाग श्योपुर सदस्य समिति ।

लगातार पृष्ठ - 2

//2//

12. उपायुक्त / सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर श्योपुर सदस्य समिति ।
13. क्षेत्रिय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्योपुर सदस्य समिति ।
14. जिला अग्रणी बैंक अधिकारी श्योपुर, सदस्य समिति ।
15. महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्योपुर, सदस्य समिति ।
16. जिला खनिज अधिकारी, श्योपुर सदस्य समिति ।
17. अपर जिला दण्डाधिकारी, कलेक्टर कार्यालय श्योपुर, सदस्य सचिव समिति ।
18. प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टर कार्यालय श्योपुर निवेश प्रोत्साहन केन्द्र स्थापित करने हेतु पालनार्थ । (समिति अर्थात् जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति) ।

10 ✓

कलेक्टर  
जिला श्योपुर